न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या — 4/2016

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
जेठीदेवी पुत्री स्व.अचला जाति कुम्हार, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर		1. नरेशकुमार पुत्र खेमाराम दतक पुत्र छोगालाल,जाति गुजर, 2.एम.जी.बी. शाखा जालोर जरिए शाखा प्रबंधक 3.भूमिधारी जरिए तहसीलदार आहोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, –जोधपुर,दिनांक 21.5.1985(ना.क.सं.871)

उपस्थिति :–
1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2–श्री संजयखान् , अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से।
4.रेस्पोडेन्ट सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 26.11.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम आहोर के पुराने खसरा नम्बर 983 रकबा 18बीघा में 1/4 हिस्सा यानि 4 बीघा 10 बिस्वा यानि 0.72 हेक्टर में अचला पुत्र वीरका कुम्हार, सहखातेदार तत्कालीन जमाबंदी व अपीलाधीन म्युटेशन के कॉलम सं. 5 पर अंकित है, अपीलांट के अचला पिता थे जिसकी मृत्यु के समय जायज वारिसान् पुत्री अपीलांट व उसकी मां जीवित थे, फौतगी म्युटेशन तत्कालीन पटवारी हल्का ने बिना जांच किए अपीलांट की मां रतकी बेवा अचला अकेले के नाम पर 1/4 हिस्से में भर दिया व स्वीकृत किया जिससे अपीलांट का नाम दर्ज नहीं हुआ जबकि 1/2 हिस्से में अपीलांट का नाम दर्ज होना चाहिये था, रि–सैटलमेन्ट के दौरान् भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुनः सर्वे के दौरान् इसके वर्तमान खसरा नम्बर 814/1334 गैर मुमकिन बैरा, 815,816 कुल रकबा 1.91 हेक्टर बने जिसके 1/8 हिस्से अनुसार गत रकबे अनुसार 0.36 हेक्टर में अपीलांट का हक निहित होने से व पुश्तैनी कब्जे की काश्त

होने के बावजूद अपीलांट को नोटिस/सूचना दिए बिना अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया है, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।अपीलांट अनपढ व ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिला काश्तकार है तथा म्युटेशन भरते व स्वीकृत करते समय अपीलांट को नोटिस ही नही दिया गया, इसलिए जानकारी नही हो पाई, अपीलांट के पुत्र पुखराज को इस बाबत् जानकारी प्राप्त करने हेतु कहा तो उसने दिनांक 4.1.16 को नकले मांगी व दिनांक 6.1.16 को नकले मिली,जमाबंदी नकल दिनांक 13.1.16 को मिली उसमें अपीलांट व उसकी माता कानाम नही होकर रेस्पोडेन्ट सं.1 का नाम आया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन सं. 871 दिनांक 21.5.85 निरस्त कर मृतक सहखातेदार अचला पुत्र वीरका के 1/4 हिस्से के वर्तमान खसरा नम्बर 814/1334,815,816 कुल रकबा 1.91 हेक्टर में 1/4 हिस्से में अपीलांट का नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार आहोर के नाम करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से दिनांक 24.5.16 को जवाब मय शपथपत्र पेश किया कि राजस्व ग्राम आहोर के गत खसरा नम्बर 983 रकबा 18 बीघा के बने नवीन खसरा नम्बर 815 रकबा 0.96 हेक्टर ,816 रकबा 0.92 हेक्टर,814/1334 रकबा 0.03 हेक्टर में से 1/4 हिस्से की खातेदारी भूमि रतकी बेचा अचलाजी कुम्हार की आई हुई थी तथा उक्त आराजी के सबंध में निर्णय करने का अधिकार रतकी को प्राप्त था, रतकी द्वारा अपनी उक्त आराजी का बैचान दिनांक 9.8.1983को रेस्पोडेन्ट सं.1 नरेश कुमार के गोद पिता छोगालालजी पुत्र नन्दाराम को किया गया था जिसकी जानकारी अपीलांट जेठीदेवी को पूर्ण रूप से थी, बैचान दस्तावेज में अपीलांट जेठीदेवी के साक्षी के रूप में अंगुष्ठ निशान करवाये थे तथा उक्त भूमि को रतकी द्वारा बैचान करने का ज्ञान जेठीदेवी को था, अपीलांट ने उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के सबंध मुं दिनांक 4.1.2016 से पूर्व में कोई जानकारी क्यों हासिल नही की,इस सबंध में दिन प्रतिदिन देरी का कारण इस प्रार्थनापत्र में वर्णित नही किया है, नरेशकुमार को खातेदारी मिलने के लगभग 33वर्षो में उनके खातेदारी कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नही करने पर अतिकमी को भी खातेदारी हक प्राप्त हो जाता है। अतः अपीलांट की अपील झूठे तथ्यों पर आधारित होने तथा म्याद बाहर होने से खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाशक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस मे दोहराया व बताया कि अपीलांट जेठीदेवी के पिता अचला(सहखातेदार) की मृत्यु के पश्चात् म्युटेशन सं. 871 अकेले उसकी माता रतकी के नाम भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जबकि अपीलांट–जेठीदेवी जीवित होते हुए भी उसके नाम स्वीकृत नही किया गया है जो निरस्त कर नियमानुसार म्युटेशन सं.871 में अपीलांट का नाम भी दर्ज कराने का आदेश करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट ने अपील म्याद बाहर पेश की है, अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.5.1985 के विरूद्ध की गयी है।RBJ 2010 page 244-245, सरकार बनाम भगवानदास चेरिटेबल ट्रस्ट में यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जिला कलेक्टर के अधिनस्थ नहीं है,राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (A)के अनुसार जिला कलेक्टर को तहसीलदार के विरूद्ध ही अपील सुनने का अधिकार है जो सैटलमेन्ट भू.अभिलेख से सबंधित नहीं हो। इस अपील में त आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया हैं जिसके विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(एफ) के तहत् निदेशक, भू अभिलेख ,संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है। अतःअपीलांट की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.13 16:52:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: